

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

संख्या—सं0का01 / वि0मं0(नियम0)4053 / 2006—929 / दिनांक—23 सितम्बर, 2006

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधि0 सं0—16, 2006) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:—

॥ नि य मा व ली ॥

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। —

- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
- (2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

- (क) “नेता विरोधी दल” से अभिप्रेत है अध्यक्ष, बिहार विधान सभा या सभापति, बिहार विधान परिषद् के द्वारा, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् में सदन के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति;
- (ख) “मुख्य सचेतक”, “उप—मुख्य सचेतक” और “सचेतक” से अभिप्रेत है कोई ऐसा सदस्य जो सरकार गठित करनेवाले सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो तथा मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल का मुख्य सचेतक;
- (ग) “सदन नेता” एवं “उप—नेता” से अभिप्रेत है ऐसा कोई सदस्य जो सरकार गठित करनेवाले सत्तारूढ़ दल द्वारा बिहार विधान परिषद् में सदन नेता एवं उपनेता नियुक्त हुआ हो;
- (घ) “संसदीय सचिव” से अभिप्रेत है मुख्य मंत्री के द्वारा उस रूप में नियुक्त सदस्य;
- (ङ.) “सदस्य” से अभिप्रेत है विधान सभा/ विधान परिषद् का कोई सदस्य।
- (च) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006;
- (छ) “निजी स्टाफ” से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 2(क) से 2(घ) तक विनिर्दिष्ट महानुभावों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमान्य निजी स्टाफ।
- (ज) “सरकार” से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।
- (झ) “भत्ते” से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय भत्ता, आतिथ्य भत्ता, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता।
- (ञ) “यात्रा भत्ता” से अभिप्रेत है, ऐसा भत्ता जो रेल/बस/सड़क मार्ग/जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए अनुमान्य हो।

(ट) “सुविधायें” से अभिप्रेत है, आवास, वाहन, दूरभाष, चिकित्सा, उपस्कर, कार अग्रिम, रेलवे कूपन एवं निजी कर्मियों की सुविधा।

3. नियम 2(क) से 2(घ) तक में विनिर्दिष्ट महानुभावों को वेतन, भत्ते एवं सुविधायें –

- (क) विधान मंडल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) तथा विधान परिषद् के सदन नेता एवं उप नेता सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।
- (ख) विधान मण्डल के दोनों सदनों के उप मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) एवं मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।
- (ग) विधान मंडल के दोनों सदनों के सचेतक सरकार के उप मंत्री के समान वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।
- (घ) संसदीय सचिव को सरकार के द्वारा जो भी दर्जा प्रदान की जायेगी, उसी के अनुरूप वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।
- (ङ.) नियम 2(क) से 2(घ) तक में विनिर्दिष्ट महानुभावों को निजी स्टाफ की वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो उन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के रूप में प्राप्त दर्जा के अनुरूप होगी।

स्पष्टीकरण :- (i) इस नियमावली के नियम 2(क) से 2(ग) तक में विनिर्दिष्ट महानुभावों को यथास्थिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय से वेतन एवं भत्ते का भुगतान तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) संसदीय सचिव को वेतन एवं भत्ते का भुगतान तथा अन्य सुविधायें सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

- 4. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों के ब्याख्या करने तथा समय-समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति। – इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी :-

- (1) बिहार विधान मण्डल सचेतक और सदन नेता (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 1980 (तथा उसमें समय-समय यथा संशोधित)।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्रवाई पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भोगेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या-सं0का01/वि0मं0(नियम0)4053/2006-929/दिनांक-23 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/महामहिम राज्यपाल के प्रधान

सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या—सं०का०१/वि०मं०(नियम०)४०५३/२००६—९२९/दिनांक—२३ सितम्बर, २००६

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

१. अधिसूचना की १००० (हजार) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के उप सचिव।

अनुसूची – 1

क्र० सं०	महानुभाव	आप्त सचिव	सहायक आप्त सचिव	निजी सहायक	निम्नवर्गीय लिपिक	आदेशपाल
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेता विरोधी दल	1 (राजपत्रित पदा०)	2 (1 राजपत्रित, 1 बाह्य)	2 (सरकारी / वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	4 (सरकारी / वाह्य)
2.	सदन नेता / उप-नेता, बिहार विधान परिषद्	1 (राजपत्रित पदा०)	2 (1 राजपत्रित, 1 बाह्य)	2 (सरकारी / वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	4 (सरकारी / वाह्य)
3.	मुख्य सचेतक, बिहार विधान सभा / विधान परिषद्	1 (राजपत्रित पदा०)	2 (1 राजपत्रित, 1 बाह्य)	2 (सरकारी / वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	4 (सरकारी / वाह्य)
4.	उप-मुख्य सचेतक, बिहार विधान सभा / परिषद्	1 (राजपत्रित पदा०)	1 (वाह्य)	2 (सरकारी / वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	3 (सरकारी / वाह्य)
5.	बिहार विधान मंडल का सचेतक	1 (राजपत्रित पदा०)	1 (वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	2 (सरकारी / वाह्य)
6.	संसदीय सचिव	1 (राजपत्रित पदा०)	1 (वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	1 (सरकारी / वाह्य)	2 (सरकारी / वाह्य)

नोट : –

- (i) सरकारी सेवा के आप्त सचिव/सहायक आप्त सचिव राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।
- (ii) सरकारी सेवा के आप्त सचिव/सहायक आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति उपरोक्त महानुभावों की अधियाचना पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा की जायेगी।
- (iii) वाह्य सेवा के सहायक आप्त सचिव/निजी सहायक/आदेशपाल की नियुक्ति संबंधित महानुभाव के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त वाह्य व्यक्ति की सेवा सर्वथा अस्थायी होगी और संबंधित महानुभाव के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। इसके पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें उपरोक्त महानुभावों के द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त वाह्य व्यक्तियों को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियत वेतन एवं अनुमान्य महंगाई भत्ता अनुमान्य होगी।
- (iv) सरकारी निजी सहायक नहीं मिलने की स्थिति में ही वाह्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा।